

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
जिला निर्यात केन्द्र योजना के अंतर्गत संवितरित निधि

3585. श्री दुरई वाइको:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात केन्द्र योजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए जिलों, विशेषकर तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई को अब तक संवितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की खाद्य निर्यात के संबंध में एक स्थिर व्यापार नीति लाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) डीजीएफटी की निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत, जिलों से पहचाने गए उत्पादों तथा सेवाओं की निर्यात वृद्धि को बल देने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाने हेतु निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को विकेन्द्रीकृत किया जा रहा है ताकि उनके स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी लाभों का फायदा उठाया जा सके। इस पहल के तहत कई जिलों में चिह्नित उत्पादों में खाद्य मर्दें शामिल हैं। इस पहल के तहत, आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अवरोधों का विवरण देने वाली जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) और पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित हस्तक्षेपों की पहचान 590 जिलों के लिए तैयार की गई हैं और शेष जिलों के लिए तैयार की जा रही हैं।

डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकारों और जिलों के साथ मिलकर अग्रणी ई-कॉमर्स साझेदारों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के हितधारकों, उद्योग संघों आदि के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि भाग लेने वाले व्यवसायों के साथ-साथ छोटे पैमाने के निर्यातकों और एमएसएमई के लिए मूल्यवान सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए जा सकें, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में सफल होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और समर्थन मिल सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, राज्यवार/जिलावार उत्पादों/सेवाओं की सूची की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यह सूची (www.dgft.gov.in/CP/) पर उपलब्ध है। निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत चिह्नित जिलों को कोई विशेष धनराशि वितरित नहीं की जाती है।
